

फर्द अहकाम  
(नियम 15)

2024/166

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ  
पुरखाराम बनाम इन्द्रपाल आदि 125/2024  
वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 आर.टी.एक्ट प्रकरण संख्या 125 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
02.04.2024	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 03.05.2024 को पेश हो।	
05.5.2024	<p>कुलाए कमकम उपस्थत/PU माहक अल्पकम पत्रावली पत्रावली गस्त 05.7.2024 दिनक के पेश हो</p>	
03.7.2024	<p>कुलाए कमकम उपस्थत/PU माहक अल्पकम पत्रावली पत्रावली गस्त 06.9.2024 दिनक के पेश हो</p>	
29.8.2024	<p>वकील वादी ने धारणा-पत्र सिवाल पेश करने पर लडावकी को पेशी के लिए गणा वकील वादी ने भिवेदन किया कि यह वाद-पत्र आगे नहीं चलाना चाहते हैं मौजूदा सिवाल में खारीज करवाना चाहते हैं। कह कर पत्र मौजूदा सिवाल में खारीज किया जाता है। लडावकी नम्बर के कम की जाकर वाद तन्वीक तकनीक जाया दाखिल दफतर हो।</p>	<p>राजीगमा हो गेण केरिकावकी नही जाएगा प-जल इ.स. गदिपाल आदि</p>

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
रावतसर

